Email: director.cswri@icar.gov.in दूरभाष : 01437–220177 फैक्स नं. 91–01437–220163
भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान
अविकानगर, तह0 मालपुरा, जिला–टोंक (राजस्थान) – 304501
ICAR-Central Sheep & Wool Research Institute
Avikanagar, Teh.Malpura, Dist.Tonk (Rajasthan) – 304501

F.No.6(387)SP/2018/ **Dated 27-05-2022**

NOTICE INVITING TENDER THROUGH E-PROCUREMENT

On behalf of Secretary, ICAR the Director, CSWRI, Avikanagar invites online bids in two bid system for संस्थान के पशु पोषण विभाग के अर्न्तगत सेक्टर न0 8, 9 एवं 4 पर स्थित हर्बल, केक्टस तथा सैंजना गार्डन के लगभग 7 हैक्टर क्षैत्र में समस्त कृषि कार्य करने हेतु वार्षिक अनुबन्ध के आधार पर at **ICAR-CENTRAL SHEEP & WOOL RESEARCH INSTITUTE, AVIKANAGAR, MALPURA, DISTT. TONK, RAJASTHAN, PIN 304501.** Manual bids shall not be entertained.

Tender documents may be downloaded from e-Procurement website of CPP https://eprocure.gov.in/ and www.cswri.res.in as per the schedule as give in CRITICAL DATE SHEET as under:

CRITICAL DATE SHEET

Tender No.	**F.No.6(387)SP/2018/**
Date and Time for issue/Publishing	27-05-2022at 5.00 PM
Document Download/Sale start date and time	28-05-2022at 3.00 PM
Bid Submission Start Date and Time	28-05-2022at 3.00 PM
Bid Submission End Date and Time	17-06-2022at 3.00 PM
Date and Time for Opening of Bids	18-06-2022at 3.00 PM
Tender fee and Earnest money Security money	Tender fee – Rs.1000/- Earnest money Rs.10,000 Security money – 3 % of contract amount
Bank detail	ICAR UNIT -CSWRI ,Avikanagar payable State Bank of India Branch – Malpura Tonk Rajasthan
Address for Communication	Assistant Administrative Officer (Store & Purchase), C.S.W.R.I., Avikanagar,Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan, Pin- 304501

Chapter I- Instruction to bidders

1. **Bids shall be submitted online only at CPPP website:** https://eprocure.gov.in/eprocure/app.
2. Tenders/bidders are requested to visit website https://eprocure.gov.in regularly. Any changes/modifications in tender enquiry will be intimated by corrigendum through this website only.
3. In case, any holiday is declared by the Government on the day of opening, the tenders will be opened on the next working day at the same time. The Institute reserves the right to accept or reject any or all the tenders.
4. The complete bidding process in online. Bidders should be possession of valid digital Signature Certificate (DSC) of class II or III for online submission of bids. Prior to bidding DSC need to be registered on the website mentioned above. For any assistance for e-bidding process, if required bidder may contact to the helpdesk at 01437-220177.
5. **Tenderer/Contractor/Bidders are advised to follow the instructions provided in the 'Instructions tothe Contractors/Tenderer/Bidders for the e-submission of the bids online through the CentralPublic Procurement Portal for e-procurement at** https://eprocure.gov.in/eprocure/app.
6. Bid documents may be scanned with 100 dpi with black and white option which helps in reducing sizeof the scanned document.

7. **Tender Cost:** Applicant contractor must submit the demand draft for Rs 1000/- (Rupees One Thousend only) in favour of **"ICAR Unit, CSWRI, Avikanagar, payable at SBI, Malpura"**, obtained from any Nationalized/ scheduled Bank valid for three months as tender fees. All applicable bank charges shall be borne by the applicant and he shall not have any claim what so ever on this account on Government. The Demand Draft submitted for tender fee shall be non-refundable. **The demand drafts for tender fees must deliver to ICAR-CSWRI, Avikanagar on or before last date/time of Bid Submission.**
8. **EMD Payment:** The bidder shall be required to submit the Earnest Money Deposit (EMD) for an amount of **Rs 10,000/- (Rupees Ten Thousand Only)** by way of demand drafts only. The demand drafts shall be drawn in favour of "**ICAR Unit, CSWRI, Avikanagar, payable at SBI, Malpura**". The EMD of the successful bidder will be return after deposit Security Money and for unsuccessful bidder(s) it would be returned after award of thecontract. **The demand drafts for EMD must deliver to ICAR-CSWRI, Avikanagar on orbefore last date / time of Bid Submission.**
   a) No request for transfer of any pervious deposit of earnest money or security deposit on payment of any pending bill held by the institute in respect of any previous work will be entertained.
   b) Tenderer shall not be permitted to withdraw his offer or modify the terms and condition thereof. In case the tenderer fails to observe and comply with stipulation made herein or back out after quoting the rates, the aforesaid amount of earnest money will be forfeited.
   c) The Tenders without Earnest Money will be summarily rejected.
   d) The Firm who are registered with National Small Industries Corporation (NSIC) / OR Small Scale Industries (SSI) are exempted to submit the EMD (Copy of registration must be provide along with technical bid)
   e) No Claim shall lie against the ICAR-CSWRI, Avikanagar in respect of erosion in the value or interest on the amount of EMD.
9. **The Hard Copy of original document in respect of cost of tender document, earnest money deposit must be delivered to the ICAR-CSWRI, Avikanagar on or before last date/time of Bid Submission as mentioned above. The bid without tender fee and EMD will be summarily rejected.**
10. **Submission of Tender:** The tender shall be submitted online in two part, viz., technical bid and financial bid. All the pages of bid being submitted must be signed and sequentially numbered by the bidder irrespective of nature of content of the documents before uploading.

    The offers submitted by Telegram/Fax/Email shall not be considered. No correspondence will be entertained in this matter.
11. **Technical Bid :** The following scanned documents are to be furnished by the bidders along with Technical Bid as per the tender document:
    1. Scanned copy of relevant Firm Registration certificate
    2. Scanned copy of Pan card
    3. Scanned copy of GST Certificate. In case, if contractor is not eligible for GST,a certificate is required showing his turnover to be less than Rs.20 lakhs & his claim is to be sustained by documentary evidence like ITR (Income Tax Return),balance sheet, profit & Loss Statement etc.
    4. Scanned copy of ESI and EPF Registration
    5. Scanned copy of D.D. of Tender Fees and E.M.D.
    6. Tender acceptance letter (Annexure I)
    7. Scanned copy non blacklisting certificate(Annexure II)

All necessary documents in support of the details for S.No. 1 to 7 must accompany the technical bid. The bid is liable to be rejected in case documents are not uploaded in the technical bid on CPP Portal, documents are incomplete or in case any certification/registration has already expired but is yet to be renewed. Only essential and necessary valid documents are to be uploaded in the technical bid. Please avoid uploading extraneous and irrelevant documents which unnecessary cause confusion.

Assistant Administrative Officer (S&P)

Chapter II- Scope of Work

संस्थान के पशु पोषण विभाग के अर्न्तगत सेक्टर न0 8, 9 एवं 4 पर स्थित हर्बल, केक्टस सैंजना तथा शहतूत गार्डन के लगभग 7.0 हैक्टर क्षेत्र में समस्त कृषि कार्य करने हेतु वार्षिक अनुबन्ध से सम्बन्धित कार्य करने कि नियम व शर्ते :

1. अनुबन्ध की अवधि एक वर्ष तक रहेगी। लेकिन सक्षम अधिकारी महोदय चाहे तो कार्य की अवधि घटाई या बढ़ाई जा सकती है। यदि उक्त अवधि के दौरान अनुबन्धकर्ता द्वारा किसी प्रकार का व्यवधान या कार्य असंतोषजनक रहा तो अनुबन्ध निश्चित समय अवधि से पूर्व जमानत राशि जब्त कर अनुबन्ध को समाप्त किया जा सकता है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी।
2. कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये उचित व न्यूनतम दर ही स्वीकार की जावेगी। निविदा भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम श्रमिक दर को पूर्ण नहीं करेगा तो उसे निरस्त समझा जावेगा।
3. ठेकेदार प्रतिनिधि को बताये गये सभी कार्य समय पर पूर्ण करने होगें कार्य अपूर्ण या समय से पूर्व छोड़ने पर या संतोषजनक नहीं होने पर अथवा कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता गैरजिम्मेदारी अवज्ञा की गई अथवा संस्थान की सम्पत्ति को नुकसान/चौरी/क्षति पहुँचाई जाती है तो नुकसाान की भरपाई स्वयं ठेकेदार को नकद करनी होगी अन्यथा उनके देये बिल से काट ली जावेगी और अनुबन्ध निरस्त कर अमानत व जमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
4. औषधीय, केक्टस एवं सैजंना गार्डन में बताये अनुसार पौध लगाना, लगे हुए पौधो की क्यारियो एवं नालियों की निराई–गुडाई करना, मैंगनी की खाद डालना। पुराने थावलां तथा क्याारियों की मरम्मत करना ।
5. स्थानीय पहाडी क्षैत्र से थोर काट/खोद कर लाने का कार्य स्वयं अनुबन्धकर्ता को करना होगा।
6. उक्त क्षेत्रो ं को वर्षभर खरपतवार रहित रखना होगा। पौधो ं की निराई–गुडाई का कार्य सफाई से करना होगा तथा अनुबन्ध की अवधि के दौरान प्रक्षैत्र पूर्णरूप से खरपतवार रहित होना चाहिए।
7. सिंचाई हेतु स्थापित बुन्द–बुन्द सिचांई पद्वति द्वारा पौधो ं को पानी पिलाना तथा टुयबू वेल बन्द करना तथा चलाकर टंकीयो ं को भरना तथा सिंचाई प्रणाली का सम्पूर्ण रूप से ध्यान रखना। आवश्यकतानुसार ड्रिप लगाना तथा प्रतिदिन सिंचाई से पुर्व ड्रिप पाईपो ं का निरिक्षण कर सही करना होगा।
8. पौधे लगाने हेतू थॉवले, क्यारिया तथा नालियॉ तैयार करनी होगी। स्थापित पौधे में 5% एवं नवस्थापित पौधों में 15% से अधिक मरने पर देय बिल से वांछित कटौती की जायेगी ।
9. कीटनाशक एवं फफुँदीनाशक छिड़कने से सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य निर्धारित समय पर प्रभारी पशु पोषण विभाग या उनके प्रतिनिधि के निर्देशानुसार पूरा करना होगा।
10. बेल वाले औषधीय पौधो ं को सहारा देने के लिये लकडी, बॉसं , अथवा जाली लगाना होगा इसके लिये मजदुरी अलग से देय नही होगी।
11. पौधे लगाने के समय गढडों में खाद व काली मिट्टी का मिश्रण डालना होगा तथा इस कार्य को वर्षभर निर्देशानुसार करना होगा।
12. विभाग की और से कार्य में लाये जाने वाले सामान जैसे– सिंचाई पाईप, पानी की टंकीया एवं अन्य बुन्द–बुन्द सिंचाई से सम्बन्धित सामान की जिम्मेदारी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी। सामान के गुम हो जाने पर बुक वेल्यु के हिसाब से भुगतान मे ं से कटौती कर ली जायेगी।
13. कृषि कार्यो में काम आने वाले श्रमिको ं तथा औजारो ं जैसे फावडा, खुरपी, कुदाली, कुल्हाडी, स्केटीयर तथा अन्य कृषि सम्बन्धित औजार का प्रबन्ध स्वंय अनुबन्धकर्ता को करना होगा।
14. ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बिल का भुगतान, तकनीकी अधिकारी द्वारा कार्य की संतोषजनक सम्पूर्णता रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर ही किया जावेगा। यदि कार्य दिये गये माप दण्डों के अनुसार पूर्ण नहीं किया गया तो भुगतान कार्य की मात्रा के अनुसार किया जावेगा।
15. पशु पोषण विभाग के अधीन अनुबन्ध के कार्यों को रोजाना सही एवं सुचारू रूप से अध्यक्ष, पशु पोषण विभाग व उनके प्रतिनिधि के निर्देशानुसार करना होगा।
16. वर्षभर के आधार पर एक मुश्त दिये गये कार्य का अनुबन्धित वर्ष में किये गये कार्य की मात्रा तथा गुणवता का आंकलन स्वयं अध्यक्ष ,पशु पोषण विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि द्वारा किये जाने के बाद भुगतान किया जायेगा। कार्य असन्तोषजनक रहने की स्थिति मे ं कटौती की जायेगी जिसकी जिम्मदेारी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी।
17. प्रक्षैत्रों पर किसी भी समय विजिट हो सकती है इसके लिये स्वंय अनुबन्धकर्ता अथवा उनके द्वारा लगाये गये प्रतिनिधि को निर्देशानुसार उपस्थित रहना होगा।
18. कार्य का भुगतान तकनीकी अधिकारी द्वारा कार्य की संतोषजनक सम्पूर्णता रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर ही किया जावेगा। यदि कार्य दिये गये मापदण्डों के अनुसार पूर्ण नहीं किया गया तो भुगतान कार्य की मात्रा के अनुसार किया जावेगा।
19. बिल का भुगतान कार्य पूर्ण होने पर बिल तीन प्रतियों में ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत करने पर निश्चित समयावधि में किया जावेगा।
20. ठेकेदार को अनुबन्ध की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित कानुनो ं का पालन करना होगा । भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय–2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मैदारी स्वंय ठेकेदार की होगी। यदि भुगतान से सम्बन्धित किसी भी श्रमिक द्वारा कोई वाद क्लेम न्यायालय में प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाने वाली राशि का पूर्ण भुगतान करने की जिम्मैदारी भी स्वयं ठेकेदार की होगी, साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।

21. श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख ठेकेदार को तैयार करना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा माँगने पर प्रस्तुत करना होगा।
22. **अकुशल श्रेणी के प्रति माह अनुमानित 60 मानव कार्य दिवस की आवश्यकता होगी।**
23. श्रमिकों के बारे में निर्धारित रजिस्टर आदि का रख–रखाव स्वयं ठेकेदार को करना होगा तथा लगाये गये श्रमिकों का GPF/PF/ESi इत्यादि यदि नियमानुसार देय होता है तो ठेकेदार द्वारा स्वयं के देय बिल राशि से देना होगा। संस्थान द्वारा इस विषय में कोई भी अलग से भुगतान का दावा स्वीकार नही करेगा। इस प्रकार का निस्तारण ठेकेदार स्वयं अपने स्तर पर करेगा।
24. संबंधित वित्तीय वर्ष में या समय–समय पर होने वाले संशोधन के अनुसार ठेकेदार के देय मासिक बिल में से नियमानुसार सेवाकर/आयकर (Service Tax/Income Tax/GST) एवं उस पर लगने वाले सरचार्जेज राशि की भी कटौती की जावेगी।
25. ठेकेदार द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अनुबन्ध कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनका परिचय–पत्र ठेकेदार द्वारा स्वयं बनाकर फोटोयुक्त परिचय–पत्र अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर पशु पोषण विभाग में प्रस्तुत करना होगा।
26. परिचय–पत्र का व्यय स्वयं ठेकेदार को वहन करना होगा। प्रतिनिधियों को फोटो पहचान–पत्र आवश्यक होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।
27. अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर ठेकेदार/उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होगें तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता/क्षतिपूर्ति राशि नही दी जावेगी।
28. आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त 2 माह बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा।
29. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदेशक केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोकं , राजस्थान अथवा उनके द्वारा नियुक्त आर्बिट्रेटर को हागे । जिसे दोनों पक्षों द्वारा मान्य होगा।
30. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अवधि व उसके उपरान्त ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि का जॉब कान्ट्रेक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।
31. सफल ठेकेदार को 500/– रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये एग्रीमेन्ट देना होगा, जिसका प्रारूप क्रय अनुभाग से प्राप्त करना होगा।
32. संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय को बिना कोई कारण बताये किसी भी एक/सभी निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
33. अनुबन्ध कार्य के बारे में अधिक जानकारी पशु पोषण विभाग/प्रतिनिधियों से कार्यालय समय में स्वयं उपस्थित होकर अथवा दूरभाष नम्बर 01437–220143 पर प्राप्त की जा सकती है।
34. यह सूचना इस संस्थान की वेबसाईट www.cswri.res.in & e-procure.gov.in पर उपलब्ध है।

Chapter III- General Terms & Conditions

1. Tenderers are advised to go through all the points mentioned in the terms and conditions of tender carefully before submitting the tender document. Incomplete/unsigned/conditional tenders will be summarily rejected and no correspondence will be entertained in this regard.
2. Before submission of the tender, the tenderer/contractor may inspect/visit the farm area site and get acquainted himself with reference to conditions and to nature of work required to be performed/executed at this Institute to avoid any ambiguity or confusion.
3. The contract will be awarded to the lowest quotee based on the rates quoted by the firm in. In case, the institute finds that the rates quoted by the tenderer is not sufficient to cover the cost of engaging minimum number of personnels at minimum wages along with other statutory requirement as specified by Govt. of India for Agricultural Sector, the institute may reject such tenders. In case of two or more tenderers quoting same rates, the tenderer having experience in relevant work will be given preference.
4. The Director ICAR-CSWRI, Avikanagar reserves the right to accept or reject any tender without assigning any reason.
5. If successful tenderer does not accept the offer within 15 days, after issuance letter of award the offer will stand withdrawn & earnest money will be forfeited, and no correspondence will be entertained in this regard.
6. The successful firm will have to sign an agreement (format will be provided by the institute with offer) on non-judicial stamp paper of appropriate value not less than **Rs. 500/-** along with the **Security Deposit @3% of contract value in** form of Account Payee Demand Draft/banker's Cheque or Bank Guarantee / FDR/TDR in favour of ICAR Unit CSWRI, Avikanagar within 15 days after issue of letter of award. It is clarified that no interest on security deposit shall be payable and security deposit money will be refundable only after the expiry/ termination of the contract period and adjusting the dues and /or forfeiture if any.
7. The contract will be awarded initially for a period of one year and thereafter, itcan be extendedfor one more year, subject to the satisfactory performance, on the same terms & conditions as per discretion of Director.
8. The firm will be disqualified and black listed and security deposit forfeited, if it is found that they sublet the contract, wholly or partially, during the period of the contract. A register for complaint /surprise/routine checks shall be maintained by the contractor which may also be inspected by authority of institute.
9. All the deployed workers must be in sound health, between 18-55 years of age. The firm should submit police verification/ fitness certificate for each deployed worker and issue them an identity card as well as appropriate uniform at the cost of contractor.
10. It will be the responsibility of the firm to look after the health and welfare of the personnel deployed as per the statutory requirements and rules. Such records would be maintained in registers and should be produced as and when demanded by the Institute.
11. The contractor shall maintain a register of complaint/work and duties performed which shall be verified by the institute.
12. ***PENALTY CLAUSE: LIQUIDATED DAMAGES CLAUSE***: Any loss/damage occurred by the Firm/Firm to the Institute property during the transaction/currency of the contract, the clause of liquidated damages for **Rs.500/-** per day shall be imposed, if the Firm fails to replace/rectify the damage/loss within a week. In case of any of the above contingencies, the First Party shall have the right to terminate this agreement forthwith without notice and recover aforesaid amount for security deposit and shall not be liable to any damages and/ or loss, which may be sufferedbytheagencyonaccount of termination of this agreement. The same shall be without any financial implication on part of the First Party. The decision of the Director, ICAR-CSWRI, Avikanagar will be final and binding in this regard.
13. If the contractor does not discharge his duties up to the satisfaction of Incharge, Farm-Section/Representative, the contract will be terminated before expiry period and the security money will be forfeited.
14. In case any problem arises on account of non-compliance of any statutory Law, the sole responsibility will be on the concerned firm. The Institute will not be responsible for any liability in this regard.
15. If any loss is incurred to the institute due to negligence or malafied intentions of the firm or any of its employees, the firm will make good the losses incurred to institute. The decision of the Director, ICAR-CSWRI, Avikanagar will be final and binding in this regard.
16. The firm must abide by all the Labour Laws in vogue for which the responsibility will solely be lying on the concerned firm. The payment to labourers engaged by the firm must be as per minimum wages prescribed by the Govt. of India for Agricultural Sector through the bank transfer, on or before 10th day of following month. The details of the payment are to be submitted to the office for processing the bill.

17. The labourers engaged by the firm will have no claim for any regular employment in the Institute/ICAR at any point of time, as this arrangement is purely on the contractual basis between the Institute and the firm.
18. In case of any accident/loss of life of the worker during discharging duties, all the liabilities/ compensation shall be borne by the firm and ICAR-CSWRI, Avikanagar shall not have responsibility in this regard.
19. The firm must submit proof of depositing the EPF and ESIC contributions along with the name and account numbers of the deployed labour and Challan of the deposited GST for the billing period (wherever applicable).
20. The bill in triplicate for work carried out in billing period is to be submitted in the Office for claiming the monthly payment through a Coordinator appointed by the Institute. No part payment request would be entertained.
21. The Director ICAR-CSWRI, Avikanagar reserves the right to review the performance whenever felt necessary also to terminate the contract at any point of time during the tenure of contract in case the performance and service rendered by firm are found to be unsatisfactory, without giving any prior notice. The decision of Director, ICAR-CSWRI, Avikanagar shall be final and binding on the contractor.
22. Contract can also be terminated at any point of time if the above mentioned work is no more required. Contract cannot be terminated by contractor firm before expiry of the contract period. **Violation would invite forfeiture of security deposit.**
23. In the case of any dispute between the institute and the firm, the Director, ICAR-CSWRI, Avikanagar will appoint an arbitrator within one month of the dispute, whose decision will be binding on both the parties, the legal jurisdiction will be Malpura only.
24. The TDS will be deducted as per Income tax extant rules.
25. The contractor or it's worker shall not misuse the premises allotted to them for any purpose other than for which contract is awarded.
26. The contractor/ his authorized representative shall report immediately whenever called by Incharge sector on receiving telephone message to attend any complaint.
27. The Contractor firm or its partners/Directors should not been declared insolvent any time. Further they are not declared defaulters / black listed by any Bank/ Financial Institute/ State oriented Govt. organization, Autonomous body etc.

Assistant Administrative Officer (S&P)

Annexure - I

भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर

तहसील–मालपुरा, जिला–टोंक, राजस्थान –304 501

क्रमांकः **6(387)SP/2018/** दिनांकः 27.05.2022

निविदा स्वीकारोक्ति पत्र (Tender Acceptance letter)

संस्थान के पशु पोषण विभाग के अर्न्तगत सेक्टर न0 8, 9 एवं 4 पर स्थित हर्बल, केक्टस तथा सैंजना गार्डन के लगभग 7 हैक्टर क्षैत्र में समस्त कृषि कार्य करने हेतु वार्षिक अनुबन्ध के आधार पर करने हेतु अपनी न्यूनतम दर प्रस्तुत करने का श्रम करे।

कार्य का विवरण
हर्बल गार्डन **(अ) हर्बल गार्डन (3.3है0)** हर्बल गार्डन में लगायी गयी सभी औषधीय फसलों /पौधों की वर्षभर आवश्यक शस्य क्रियायें सम्पन्न करना जैसे खरपतवार नियन्त्रण, कीट–रोग नियंत्रण हेतु दवा छिडकाव/उर्वरक देना एवं उत्पाद/उपज की कटाई, यातायात एवं संग्रहण करना। सिचांई हेतु स्थापित बुन्द–बुन्द सिचांई पद्वति द्वारा एवं आवश्यकतानुसार ट्रेक्टर टैकंर से करवानी होगी वर्षभर पौधों को पानी पिलाना तथा टंकीयों को टयुबवेल चलाकर भरना। सिचांई प्रणाली का सम्पूर्ण रूप से ध्यान रखना।प्रक्षैत्रों को वर्षभर साफ–सुथरा रखना, पौधों की निराई/गुडाई करना एवं औषधीय पौधों से सम्बन्धित समस्त प्रकार के कार्य करना।आवश्यकतानुसार मैंगनी की खाद पशु सेक्टर से लाकर हर्बल गार्डन में दिशा –निर्देशानुसार पौधो में डलवाना। प्रक्षेत्र में जुताई, रास्ते एवं पटिटयों में हैरो टिलर व लेवलर मय ट्रेक्टर एवं खाद सेक्टर से लाने हेतु जेसीबी व ट्रेक्टर ट्रोंली संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। रास्ते के दोनो तरफ लगी हुयी कटूंर की मरम्मत करनी होगी। हर्बल पौध तैयार करने के लिए थैलियों में मिटटी भरना, क्यारीया बनाना तथा बीज डालना तथा देखभाल रखना होगा। **(ब)केक्टस गार्डन (1है0)** वर्षभर खरपतवार रहित साफ–सुथरा रखना। केक्टस एवं सैंजना का रख–रखाव, सिचाई एवं साईलेज हेतु आवश्यकतानुसार कटाई कर वांछित स्थान पर पहुॅंचाना। यदि आवश्यक हुआ तो फसल के मध्य रिक्त स्थान पर अतिरिक्त केक्टस लगाया जा सकता है एवं केक्टस से सम्बन्धित समस्त प्रकार के कार्य करना। **(स)सैंजना एवं शहतूत गार्डन (2.6 है0)** स्थापित सैंजना पौधों की नियमित वर्षभर देखभाल, बुन्द–बुन्द सिंचाई करना, खरपतवार रहित रखना। खिलाई–पिलाई एवं साईलेज हेतु समय समय पर छंगाई कर वांछित स्थान पर पहुॅचाना। नये विकसित किये जा रहे क्षैत्र में सैंजना, शहतूत व खेजड़ी के पौधों की देखभाल करना जैसे खाद व उर्वरक देकर वर्षभर बुन्द बुन्द सिंचाई कर रख–रखाव करना।क्षेत्र की सफाई हेतु समय –समय पर झाडियों को काटना, भेड के बाडों से आवश्यकतानुसार मेगंनी की खाद डालना, वांछित स्थानो पर थॉवलो व क्याारियों में डलवाना, काली मिटट्ी के साथ मिश्रण कर पेड पौधे हेतु गढडे तैयार करना व वर्षभर रख रखाव कर प्रदर्शन हेतु तैयार रखना एवं सैंजना पौधों से सम्बन्धित समस्त प्रकार के कार्य करना। पौधों की सिचांई ट्रेक्टर टैकंर से भी आवश्यकतानुसार करवानी होगी ।पुराने धामण घास को काटकर कुटटी करके सेक्टर पर डालना होगा। नोट : उपरोक्त तीनों गार्डनों में स्थित अन्य वृक्षों एवं रोड के निकट स्थित वृक्षों को छंगाई कर टहनियों एवं झाडियों को उठाकर वांछित स्थान पर डालना होगा। आवश्यकता पडने पर सेम्पलिंग कार्य हेतु मजदूर उपलबध करवाना होगा। प्रक्षैत्र से उत्पाद को काटकर वांछित भेडों के बाडों पर डालना, एवं व्यवस्थित करना होगा। (ट्रेक्टर –ट्राली संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा) वर्षा ऋतू में आवश्यकतानुसार नये पौधे लगाने के लिए गढढें बनाकर तैयार करना इत्यादी

नोट :– अकुशल श्रेणी के प्रति माह अनुमानित 60 मानव कार्य दिवस की आवश्यकता होगी।

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैनें निविदा में दर्षायी गई सभी नियम व शर्ते भली–भॉंति पढ़ली है तथा मुझे पूर्णरूप से स्वीकार है। मैं यह भी वचन देता हूँ कि मुझे व मेरे प्रतिनिधि को उपरोक्त निविदा प्रपत्र में दर्षाये गये सभी कार्यो का पूर्ण ज्ञान है। मैं उपरोक्त दर्षायी गई दरों पर **संस्थान के पशु पोषण विभाग के अर्न्तगत सेक्टर न0 8, 9 एवं 4 पर स्थित हर्बल, केक्टस तथा सैंजना गार्डन के लगभग 7 हैक्टर क्षैत्र में समस्त कृषि कार्य करने हेतु वार्षिक अनुबन्ध से संबंधित कार्य** को अनुबन्ध/ठेके के आधार पर सम्पन्न करवाने के क्रम में रेट कोन्ट्रेक्ट/जॉब कोन्ट्रेक्ट पर करने के लिये सहमत हूँ। मैं यह वचन देता हूँ कि संस्थान द्वारा समय–समय उपरोक्त दर्शाये गये कार्य के अतिरिक्त कार्य करवाया जावेगा तो उक्त दर्शायी गई दरों पर संस्थान में कार्य करूंगा तथा मैं प्रभारी, फार्म अनुभाग या उनके प्रतिनिधि से समय–समय पर सम्पर्क करके उनके निर्देशानुसार अनुबन्ध कार्य करता रहूँगा। मैं अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूँगा और संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों से विनम्रता पूर्वक व्यवहार रखूँगा। यदि मेरे या प्रतिनिधियों द्वारा अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान/हस्तक्षेप करने/या उनके द्वारा बताये जाने वाले कार्य को करने के लिये मना आदि करता हूँ तो मेरे द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत राशि को जब्त करके अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता हैं जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।

यह भी वचन देता हूँ कि मैं भारत/राजस्थान सरकार के प्रचलित सभी श्रमिक नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूँगा तथा मेरे द्वारा लगाये गये सभी प्रतिनिधियों की मजदूरी का भुगतान समय–समय पर निर्धारित दैनिक मजदूरी की दर से करूँगा।

यह मेरे/हमारे संज्ञान में भली–भाँति से है कि आपके द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं में आप न्यूनतम अथवा किसी अन्य निविदाओं को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मुझे/हमें मान्य हैं। अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के उपरान्त मेरा व मेरे द्वारा लगाये गये प्रतिनिधियों का इस संस्थान से जॉब कोन्ट्रेक्ट के अलावा कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा और न ही मै किसी प्रकार का संस्थान के खिलाफ कोई कार्यवाही करूँगा।

दिनांक————————

हस्ताक्षर ठेकेदार/फर्म प्रतिनिधि मय सील

पूरा पता

टेलीफोन/मोबाईल नं.

Annexure - II

NON BLACKLISTING CERTIFICATE

[To be submitted on letterhead]

I/We hereby certify that the [Name of the company / firm] has not been ever blacklisted/ debarred by any Central / State Government / Public Undertaking / Institute on any account.

I/We also certify that firm will supply the item as per the specification given by ICAR-CSWRI, Avikanagar and also abide all the terms and conditions stipulated in Contract.

I/We also certify that the information given in bid is true and correct in all aspects and in any case at a later date it is found that any details provided are false and incorrect, contract given to the concern firm or participation may be summarily terminated at any stage, the firm will be blacklisted and ICAR-CSWRI, Avikanagar may imposed any action as per NIT rules.

Date :
Place :

Name :
Business Address :
Signature of Bidder :
Seal of the Bidder :

भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर

तहसील–मालपुरा, जिला–टोंक, राजस्थान –304 501

क्रमांकः 6(387)एसपी / 2018 / दिनांकः 27.05.2022

वित्तीय निविदा प्रपत्र

संस्थान के पशु पोषण विभाग के अर्न्तगत सेक्टर न0 8, 9 एवं 4 पर स्थित हर्बल, केक्टस तथा सैंजना गार्डन के लगभग 7 हैक्टर क्षेत्र में समस्त कृषि कार्य करने हेतु वार्षिक अनुबन्ध से संबंधित कार्य दर सभी करों एवं खर्चो सहित निविदा के साथ संलग्न BUQ Sheet **में प्रस्तुत करे।**

कार्य का विवरण	दर प्रति माह	कुल लागत 12 माह
हर्बल गार्डन **(अ) हर्बल गार्डन (3.3है0)**हर्बल गार्डन में लगायी गयी सभी औषधीय फसलों /पौधों की वर्षभर आवश्यक शस्य क्रियायें सम्पन्न करना जैसे खरपतवार नियन्त्रण, कीट–रोग नियंत्रण हेतु दवा छिडकाव/उर्वरक देना एवं उत्पाद/उपज की कटाई, यातायात एवं संग्रहण करना। सिचांई हेतु स्थापित बुन्द–बुन्द सिचांई पद्वति द्वारा एवं आवश्यकतानुसार ट्रेक्टर टैकंर से करवानी होगी वर्षभर पौधों को पानी पिलाना तथा टंकीयों को टयुबवेल चलाकर भरना। सिचांई प्रणाली का सम्पूर्ण रूप से ध्यान रखना।प्रक्षेत्रों को वर्षभर साफ–सुथरा रखना, पौधों की निराई/गुडाई करना एवं औषधीय पौधों से सम्बन्धित समस्त प्रकार के कार्य करना।आवश्यकतानुसार मैंगनी की खाद पशु सेक्टर से लाकर हर्बल गार्डन में दिशा –निर्देशानुसार पौधो में डलवाना। प्रक्षेत्र में जुताई, रास्ते एवं पटिटयों में हैरो टिलर व लेवलर मय ट्रेक्टर एवं खाद सेक्टर से लाने हेतु जेसीबी व ट्रेक्टर ट्रोंली संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। रास्ते के दोनो तरफ लगी हुयी कटूंर की मरम्मत करनी होगी। हर्बल पौध तैयार करने के लिए थैलियों में मिटटी भरना, क्यारीया बनाना तथा बीज डालना तथा देखभाल रखना होगा। **(ब)केक्टस गार्डन (1है0)** वर्षभर खरपतवार रहित साफ–सुथरा रखना। केक्टस एवं सैंजना का रख–रखाव, सिचाई एवं साईलेज हेतु आवश्यकतानुसार कटाई कर वांछित स्थान पर पहुॅचांना। यदि आवश्यक हुआ तो फसल के मध्य रिक्त स्थान पर अतिरिक्त केक्टस लगाया जा सकता है एवं केक्टस से सम्बन्धित समस्त प्रकार के कार्य करना। **(स)सैंजना एवं शहतूत गार्डन (2.6 है0)** स्थापित सैंजना पौधों की नियमित वर्षभर देखभाल, बुन्द–बुन्द सिंचाई करना, खरपतवार रहित रखना। खिलाई–पिलाई एवं साईलेज हेतु समय समय पर छंगाई कर वांछित स्थान पर पहुॅचाना। नये विकसित किये जा रहे क्षेत्र में सैंजना, शहतूत व खेजड़ी के पौधों की देखभाल करना जैसे खाद व उर्वरक देकर वर्षभर बुन्द बुन्द सिंचाई कर रख–रखाव करना।क्षेत्र की सफाई हेतु समय –समय पर झाडियों को काटना, भेड के बाडों से आवश्यकतानुसार मेगंनी की खाद डालना, वांछित स्थानो पर थॉवलो व क्यारियों में डलवाना, काली मिटट्ी के साथ मिश्रण कर पेड पौधे हेतु गढडे तैयार करना व वर्षभर रख रखाव कर प्रदर्शन हेतु तैयार रखना एवं सैंजना पौधों से सम्बन्धित समस्त प्रकार के कार्य करना। पौधों की सिचांई ट्रेक्टर टैकंर से भी आवश्यकतानुसार करवानी होगी ।पुराने धामण घास को काटकर कुटटी करके सेक्टर पर डालना होगा। नोट : उपरोक्त तीनों गार्डनों में स्थित अन्य वृक्षों एवं रोड के निकट स्थित वृक्षों को छंगाई कर टहनियॉ एवं झाडियों को उठाकर वांछित स्थान पर डालना होगा। आवश्यकता पडने पर सेम्पलिंग कार्य हेतु मजदूर उपलबध करवाना होगा। प्रक्षेत्र से उत्पाद को काटकर वांछित भेडों के बाडों पर डालना, एवं व्यवस्थित करना होगा। (ट्रेक्टर –ट्राली संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा) वर्षा ऋतू में आवश्यकतानुसार नये पौधे लगाने के लिए गढडें बनाकर तैयार करना इत्यादी		

नोट :– अकुशल श्रेणी के प्रति माह अनुमानित 60 मानव कार्य दिवस की आवश्यकता होगी।

दिनांक——————

हस्ताक्षर ठेकेदार/फर्म प्रतिनिधि मय सील
पूरा पता टेलीफोन/मोबाईल नं.